उत्तरांचल परिवहन निगम

बनाम

संजय कुमार नौटियाल

(2006 की सिविल अपील सं. 696)

27 फरवरी, 2008

[डाॅ. अरिजीत पासायत और डी.के. जैन, जे.जे.]

श्रम कानून:

बर्खास्तगी- घोर दुराचार, विश्वास का उल्लंघन- ड्यूटी के वक्त घोर दुराचार व शुल्क और सार्वजनिक धन/टिकट धन के दुरूपयोग के लिए प्रत्यर्थी बस कण्डक्टर को बर्खास्त करना - यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी जो कि प्रत्यायी क्षमता में काम कर रहा था, विश्वासघात के लिए दोषी था- निचली अदालतों द्वारा यह गलत पाया गया है कि जो प्रत्यर्थी को सजा दी गयी है वह तारतम्यहीन है - उत्तरप्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 - धारा 2(1-A)

प्रत्यर्थी अपिलार्थी- परिवहन निगम में एक बस कण्डक्टर के रूप में कार्यरत था। अपीलार्थी परिवहन निगम के कर्मियों द्वारा औचक जांच पर प्रत्यर्थी को कर्त्तव्य में घोर कदाचार व सार्वजनिक धन/टिकट धन का

दुरूपयोग करने बाबत् दोषी पाया गया। नतीजतन प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। श्रम न्यायालय द्वारा उत्तरप्रदेश औद्योगिक अधिनियम, 1947 की धारा 2(1-A) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया और यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी को दी गयी सजा उसके किये गये कृत्य की तुलना में अत्यधिक कठोर है तथा उसकी बहाली के आदेश के साथ यह आदेशित किया गया कि उसकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि को बिना भविष्य को प्रभावित किये रोक दिया जावे तथा पिछले वेतन का 50 प्रतिशत उससे जब्त किया जावे। अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका दायर की गयी। उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा किये गये धन दुरूपयोग की राशि कम थी, इसीलिए उसको दी गयी सजा तारतम्यहीन थी। किन्तु वह पिछले बकाया वेतन को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

वर्तमान अपील में जो विचारणीय प्रश्न है, वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी को दी गयी उसकी सेवा से बर्खास्तगी की सजा उसके द्वारा ग्रहण किये गये न्यास के पद के अनुरूप है अथवा नहीं।

न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया-

ऐसे मामलों में जहां बस कंडक्टर या तो टिकट भारी मात्रा में जारी नहीं करता है या फिर उसके द्वारा जारी किये गये टिकट की राशि अल्प मात्रा में है, वहां उसके दुराचार के लिए सजा के तौर पर सेवा से बर्खास्त करना उचित है। कंडक्टर का यह दायित्व है कि वह उचित टिकट राशि यात्रिओं से इकट्ठा करें तथा उसे निगम में जमा कराये। इस प्रकार कंडक्टर प्रत्यायी क्षमता में कार्य करते हैं और यदि वह यात्रिओं से कोई टिकट राशि एकत्र नहीं करते या फिर सही राशि एकत्र नहीं करते तो उनका कृत्य घोर कदाचार की श्रेणी में आता है। एक कंडक्टर एक न्यासी का पद धारण करता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने न्यास के पद का दुरूपयोग करता है उसको सजा के तौर पर सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। न्यायालयों द्वारा इस कृत्य के लिए कम सजा देना गलत सहानुभूति है, जहां पर जांच में यह पाया जाता है कि बस कंडक्टर द्वारा या तो भारी मात्रा में यात्रिओं को टिकट जारी नहीं किया गया या फिर कम मूल्य की राशि वाला टिकट जारी किया गया जबकि उन्हें यह पूरी तरह से ज्ञात था कि उन्हें यात्रिओं से सही टिकट राशि लेनी चाहिए। ऐसे बस कंडक्टर, जिनके कृत्य या निष्क्रियता से निगम को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है, वे सेवा में बने रहने योग्य नहीं है। उपर्युक्त अनुसार श्रम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा जो अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थी को दी गयी सजा तारतम्यहीन है तथा उचित नहीं है। (पैरा 4, 5) (556-ए-जी, 557-ए)

वी. रमना बनाम ए.पी. एस.आर.टी.सी. वगैरा (2005) 7 एससीसी 338 - का अवलोकन किया गया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयनः 2006 की सिविल अपील संख्या 696

उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा डब्ल्यू.पी. संख्या 251/2001 (एस/एस) में पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 04/08/2005

न्यायालय का निर्णय डा ॅ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा पारित किया गया-

1. इस अपील में उत्तरांचल पथ परिवहन निगम (संक्षेप में ''निगम'') ने उत्तरांचल उच्च न्यायालय के विद्वान सिंगल जज द्वारा पारित निर्णय की वैधता पर प्रश्न उठाया है। जिन्होंने अपीलार्थी निगम द्वारा दायर रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। उच्च न्यायालय के समक्ष निगम द्वारा श्रम न्यायालय, देहरादून के पीठासीन अधिकारी के द्वारा 2000 का रेफरेंस केस संख्या 25 में पारित आदेश, जहां पर उन्होंने यह आदेशित किया था कि प्रत्यर्थी को 50 प्रतिशत पुराने बकाया वेतन के साथ सेवा में बहाल किया जावे व आगामी दो वेतन वृद्धि को सजा के तौर पर बिना संचयी प्रभाव के रोका जावे।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैः-

संजय कुमार नौटियाल-प्रत्यर्थी अपीलार्थी निगम में कंडक्टर के पद पर कार्यरत था। वह सहारनपुर डीपो में उक्त सुसंगत अवधि के दौरान पदस्थापित था। प्रत्यर्थी को दिनांक 22.04.1996 को बस, जिसका रजिस्ट्रेशन नं. यूपी-15-9496 में कंडक्टर के पद का कार्यभार सौंपा गया था। प्रत्यर्थी के कार्यभार में उसके द्वारा बस के नियत रूट पर यात्रिओं को टिकट जारी करना व उनसे टिकट की राशि एकत्रित करना सम्मिलित था। प्रत्यर्थी का यह कर्त्तव्य था कि वह अपीलार्थी द्वारा उसको जो वे-बिल शीट दी गयी है उसमें टिकटों का सही विवरण व प्रविष्टि कर सही खाता रखें, जिससे कि यह पता चल पाये कि बस में कितने यात्री यात्रा कर रहे हैं, कहां से उन यात्रिओं ने बस में सफर प्रारम्भ किया और उनका अंतिम गंतव्य क्या था।

उसी दिन दिनांक 22.04.1996 को अपीलार्थी के कार्मिकों द्वारा जमील अहमद, यातायात निरीक्षक की निगरानी में व एम.ए खान व नंदन सिंह, सहायक यातायात निरीक्षक के साथ औचक जांच की गयी। उस वक्त बस सहारनपुर-हरिद्वार रूट पर चल रही थी। जांच के दौरान उपर्युक्त कार्मिकों द्वारा यह पाया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा वे-बिल में यात्रिओं का बोर्डिंग की जगह व अंतिम गंतव्य अंकित नहीं था। उक्त काॅलम प्रत्यर्थी

द्वारा जानबूझकर रिक्त छोडे गये थे, जिससे कि वह सार्वजनिक धन का दुरूपयोग कर सकें। इसके अलावा प्रत्यर्थी ने प्रविष्टियों के साथ भी छेडछाड की थी और उसमें गलत या कम राशि यात्रिओं से वसूल करना अंकित किया। प्रत्यर्थी द्वारा यात्रिओं को जारी टिकटों में उनका गंतव्य और बोर्डिंग स्थान स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया था और उसके द्वारा जानबूझकर इस प्रकार तथ्य अंकित किये गये थे जिससे कि प्रत्यर्थी यदि प्रति-सत्यापन हो तो प्रत्यर्थी सही तथ्य को छिपा सकें। प्रत्यर्थी द्वारा जारी कुछ टिकटों पर अंतिम गंतव्य या बोर्डिंग की जगह को जानबूझकर खाली छोड रखा था। प्रत्यर्थी द्वारा कुल यात्रिओं में से लगभग आधे यात्रिओं को टिकट जारी नहीं किये गये थे। इसके अलावा उसने बस में यात्रा करने वाले यात्रिओं को बिना टिकट जारी किये उनसे पैसे लिये थे। प्रत्यर्थी के द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में जांच अधिकारियों द्वारा वे-बिल में प्रविष्टि की गयी। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा सार्वजनिक धन का दुरूपयोग किया गया और उसके द्वारा जानबूझकर वेबिल में प्रविष्टियां की गयी हैं।

निगम के जांच अधिकारियों द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध परिवाद उसी दिन दिनांक 22.04.1996 को दायर किया गया। उपर्युक्त तथ्यों से प्रत्यर्थी का कृत्य पूरी तरह से अनुचित व अपीलार्थी के कर्मचारियों बाबत् बनाये गये सेवा नियम के विरूद्ध पाया गया। उक्त कृत्य धोखाधडी व सार्वजनिक धन

का दुरूपयोग करने की श्रेणी में आता है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, सहारनपुर के द्वारा जांच अधिकारियों द्वारा पेश परिवाद प्राप्त करने पर वरिश्ठ स्टेशन प्रभारी, सहारनपुर को निर्देषित किया कि वह प्रत्यर्थी द्वारा दिये पुराने वे-बिल व टिकट काउंटर फोइल की जांच कर रिपोर्ट पेश करें। उक्त जांच के बाद वरिष्ट स्टेशन प्रभारी द्वारा यह पाया गया कि प्रत्यर्थी औचक जांच से पूर्व उस माह में सिर्फ चार दिन ही ड्यूटी पर उपस्थित हुआ था। यह भी पाया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा ड्यूटी के हर दिन समान प्रक्रिया अपनाते हुए वे-बिल में यात्रिआेंं की टिकट प्रविष्टि भरी गयी, जिस प्रकार उसने औचक जांच दिनांक 22.04.1996 के दिन की थी। टिकटों पर आॅवरराइटिंग, यात्रिओं के गंतव्य व बोर्डिंग स्थान टिकट पर अंकित नहीं होना और यदि अंकित किये भी गये तो वह स्पष्ट नहीं थे। टिकटों के पीछे कार्बन प्रति भी नहीं मिली, वे-बिल में मूल्य राशि को आॅवरराइटिंग से बदलकर कम किया हुआ था। उक्त रिपोर्ट दिनांक 09.07.1997 को सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, यू.पी., एस.आर.टी.सी. सहारनपुर को प्रस्तुत की गयी।

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, सहारनपुर द्वारा उक्त रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत मामले को क्षेत्रीय प्रबंधक, देहरादून को भेजा गया। मामले के साथ जांच रिपोर्ट भेजी गयी तथा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक जांच करने का प्रस्ताव दिया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक, देहरादून द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध

निगम के जांच अधिकारी द्वारा किया गया परिवाद, यातायात निरीक्षक की रिपोर्ट तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, सहारनपुर के भेजे गये प्रस्ताव और मामले की गम्भीरता का संज्ञान लेते हुए प्रत्यर्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की गयी। प्रत्यर्थी को चार्जशीट दी गयी तथा प्रत्यर्थी के विरूद्ध कुल 13 आरोप उपर्युक्त रिकार्ॅड के आधार पर बनाये गये।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को दिये गये आरोप पत्र का जवाब प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया। प्रत्यर्थी ने उसके द्वारा की गयी अनियमितताओं का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और उसके द्वारा औपचारिक प्रतिरक्षा ली गयी कि वे-बिल में कार्ॅलम खाली इसलिए छोडे हुए है क्योंकि बस में काफी भारी मात्रा में यात्री सफर कर रहे थे। प्रत्यर्थी ने इसके अलावा यह भी कथन किया कि वेबिल में उसके द्वारा कोई आर्ॅवरराइटिंग नहीं की गयी है, किसी और ने उक्त कृत्य उसको झूंठा फंसाने के उद्देष्य से किया है। प्रत्यर्थी द्वारा जांच अधिकारी शिव रतन कुमार, यातायात निरीक्षक के समक्ष अपीलार्थी द्वारा पेश किए गए गवाहों से जिरह करने से इन्कार कर दिया गया। जिन गवाहों द्वारा जांच की गयी थी उन्होंने जांच अधिकारी शिव रतन कुमार के समक्ष रिपोर्ट को प्रमाणित किया। प्रत्यर्थी टिकट पर रिक्त छोडे हुए कार्ॅलम और कार्बन प्रति के नहीं होने बाबत् भी कोई स्पश्टीकरण नहीं दे पाया। उसने फिर से एक औपचारिक प्रतिरक्षा ली की उससे यह कृत्य भूल से हुआ है। जांच रिपोर्ट क्षेत्रीय प्रबंधक, देहरादून को पेश की गयी और उक्त

रिपोर्ट में यह पाया गया कि समस्त आरोप जो कि आरोप पत्र में प्रत्यर्थी के विरूद्ध लगाये गये हैं वे दस्तावेजों, मौखिक बयानों व मामले की परिस्थितियों के आधार पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध प्रमाणित पाये जाते हैं। उक्त रिपोर्ट क्षेत्रीय प्रबंधक, देहरादून को पेश की गयी।

क्षेत्रीय प्रबंधक, देहरादून द्वारा जांच कार्यवाहियों तथा उसकी रिपोर्ट और जांच अधिकारी द्वारा लेखबद्ध दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्त व उसके निलंबन के दौरान उसका वेतन जब्त करने का प्रस्ताव दिया। इस पर प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी ने उक्त नोटिस का जवाब दिया और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से संबंधित कुछ आक्षेप उठाये। किन्तु, क्षेत्रीय प्रबंधक अधिकारी, देहरादून द्वारा प्रत्यर्थी को ड्यूटी के दौराने घोर कदाचार करने व सार्वजनिक निधि/टिकट राशि का दुरूपयोग करने व वे-बिल के साथ छेडछाड कर उन्हें पेश करने का दोषी पाया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक, देहरादून द्वारा प्रत्यर्थी को बर्खास्त किया गया तथा उसके निलंबन अवधि के दौरान उसके वेतन को जब्त कर लिया।

इसके बाद क्षेत्रीय प्रबंधक, देहरादून के विरूद्ध महाप्रबंधक, पश्चिमी प्रभाग, यूपीएसआरटीसी, मेरठ के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गयी अपील को खारजि कर दिया गया। इसके उपरान्त सहायक प्रबंध निदेशक,

यूपीएसआरटीसी, लखनऊ के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दायर दूसरी अपील भी खारिज की गयी। उसके बाद प्रत्यर्थी द्वारा श्रम न्यायालय, देहरादून के समक्ष न्यायनिर्णयन मामला 2000 का नम्बर 25, दायर कर अपीलार्थी द्वारा उसे सेवा से बर्खास्त करने को चुनौती दी। श्रम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.07.2000 के जरिये अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्त किये जाने के आदेश को निरस्त किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा किये गये कदाचार की तुलना में उसको अपीलार्थी द्वारा दी गयी सजा को कठोर माना तथा सजा को कम कर आदेश दिया कि प्रत्यर्थी की दो वार्षिक वेतन वृद्धि को बिना भविष्य को प्रभावित किये रोका जावे तथा 50 प्रतिशत उसका पुराना बकाया जब्त किया जावे।

यह ध्यान देने योग्य है कि श्रम न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को आरोप पत्र में उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों में दोषी पाया गया था। श्रम न्यायालय द्वारा पक्षकारों को मौखिक बयान लेखबद्ध किया जाना उचित नहीं समझते हुए सिर्फ अनुशासनात्मक जांच संबंधी दस्तावेजी साक्ष्यों का ही अवलोकन किया।

श्रम न्यायालय के न्यायनिर्णयन 2000 का नम्बर 25 में पारित आदेश दिनांकित 31.07.2000 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष रिट याचिका दायर की। उच्च

न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को इस आधार पर खारिज किया कि श्रम न्यायालय उत्तरप्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनिमय, 1947 की धारा 6(2-ए) के अन्तर्गत दी गयी शक्तियोंं का उपयोग कर प्रत्यर्थी की सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त, इस आधार पर कि उक्त सजा कठोर थी, करने में सही था।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का प्राथमिक पक्ष यह था कि प्रत्यर्थी का कदाचार प्रमाणित पाये जाने की रोशनी में उसको दी गयी सजा उचित थी तथा श्रम न्यायालय को उक्त सजा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त तर्क को नहीं माना गया। उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि दुरूपयोग से संबंधित राशि काफी कम थी, अतः प्रत्यर्थी को दी गयी सजा तारतम्यहीन थी। किन्तु उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी को पुराने बकाया वेतन में से कुछ भी नहीं दिया जाएगा, बल्कि अन्य दण्डों को बरकरार रखा जाएगा।

अपनी अपील के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने यह तर्क पेश किया कि श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा किए गए कृत्य में सम्मिलित राशि को अनावश्यक महत्व दिया है तथा इस तथ्य को नजर अंदाज किया है कि कंडक्टर एक न्यास का पद धारण

करता है और इसीलिए प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्त करने की दी गयी सजा को असमानुपाती नहीं माना जा सकता है।

3. प्रत्यर्थी के उपर नोटिस की तामील होने के बाद भी प्रत्यर्थी अनुपस्थित।

4. न्यायिक दृष्टांत वी. रमना बनाम ए.पी. एस.आर.टी.सी. वगैरा (2005 (7) एससीसी 338) में यह अभिनिर्धारित किया है किः

> "4.....न्यायिक दृष्टांत कर्नाटक राज्य पथ परिवहन निगम बनाम बी.एस. हुलीकट्टी (जे.टी. 2001 (2) एस.सी. 72) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसे मामलों में दुराचार के लिए जहां बस कंडक्टर या तो बडी संख्या में यात्रिओं को टिकट जारी नहीं करता है या कम मूल्य के टिकट जारी करता है, बर्खास्तगी की सजा उचित है। कंडक्टर का यह दायित्व है वह बस के यात्रिओं से सही टिकट राशि एकत्रित करें और निगम में जमा करावें। वह प्रत्यायी क्षमता में कार्यरत है और यह घोर दुराचार का मामला होगा यदि वह कोई भी टिकट राशि एकत्रित ना करें या सही टिकट राशि एकत्रित ना करें। एक कंडक्टर न्यास का पद धारण करता है। न्यास के उल्लंघन का दोषी व्यक्ति

को सेवा से बर्खास्तगी की सजा देनी उचित है। हस्तगत मामले में तथ्यों के अनुसार यह दर्शित होता है कि कंडक्टर का कृत्य कई विनियमन का उल्लंघन करता है, जैसे कि आन्ध्रप्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1963 (संक्षेप में विनियमन)। उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांत कर्नाटक राज्य पथ परिवहन में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालयों द्वारा इस कृत्य के लिए कम सजा देना गलत सहानुभूति है, जहां पर जांच में यह पाया जाता है कि बस कंडक्टर द्वारा या तो भारी मात्रा में यात्रिओं को टिकट जारी नहीं किया गया या फिर कम मूल्य की राशि वाला टिकट जारी किया गया जबकि उन्हें यह पूरी तरह से ज्ञात था कि उन्हें यात्रिओं से सही टिकट राशि लेनी चाहिए। अंत में यह प्रतिपादित किया कि बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए था। उक्त विचार को न्यायिक दृष्टांत क्षेत्रीय प्रबंधक, आर.एस.आर.टी.सी. बनाम घनश्याम शर्मा (2002 (1) एल.एल.जे. 234) में तीन न्यायाधीशों की बैंच ने दोहराया जहां इसके अतिरिक्त यह भी प्रतिपादित किया गया कि प्रमाणित कृत्य या तो बेइमानी या फिर घोर लापरवाही की श्रेणी में आते हैं और

बस कंडक्टर, जिनके कृत्य या निष्क्रियता से निगम को भारी वित्तीय हानि पहुंचती है, वह सेवा में बने रहने योग्य नहीं है।"

5. उक्त सिद्धांत न्यायिक दृष्टांत क्षेत्रीय प्रबंधक, यू.पी.एस.आर.टी.सी इटावा वगैरा बनाम होती लाल वगैरा (जे.टी. 2003(3) एससी 27) में दोहराया गया।

6. उक्त स्थिति में श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया जाना कि दी गयी सजा तारतम्यहीन है, उचित नहीं पाया जाता है।

7. उपर्युक्त विवेचनानुसार उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित सजा को सही मानते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा समर्थित स्थिति बहाल की जाती है।

8. काॅस्ट के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील स्वीकार की जाती है।

बी.बी.बी.

अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पारूल पारीक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।